(सं० सी०एस० ३/एम-३-१०१६/८०—३६१८)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प***

२५ अक्तूबर १९८०

विषय—सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया।

सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में समय-समय पर नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या १४७४७, दिनांक ६ सितम्बर १९७९ एवं संख्या १६९०९, दिनांक १८ अक्तूबर, १९७९ द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया वर्तमान में लागू है परन्तु इसे जिस उद्देश्य से लागू किया गया था उसकी पूर्त्ति नहीं हो पायी है। अतः सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार किया गया एवं वर्तमान नीति एवं प्रक्रिया को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिए उपरोक्त पूर्वादेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं :—

(क) स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए सामान्य नीति :

(१) सामान्यतः सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में सिर्फ दो बार किया जायगा, अर्थात् प्रतिवर्ष मई-जून में तथा नवम्बर-दिसम्बर में।

विशेष परिस्थिति में जैसे मृत्यु, बीमारी, रिक्ति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इस बीच में भी स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकता है :—

(i) जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन मंत्री स्तर से या मंत्रिपरिषद् से होता है उन मामलों में मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर ही स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाय;

(ii) जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किसी अवर-पदाधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन किया जाता है उन्हें अपने से उच्चतर पदाधिकारी (इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर) की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(२) प्रत्येक पद पर या किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन की अवधि साधारणतः तीन साल होगी। किसी विशेष पद या स्थान के लिये पदस्थापन दो साल के लिये भी किया जा सकता है, जिसे विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिये निर्धारित करना होगा।

(३) जहां तक संभव हो, सेवा निवृत्ति के अंतिम वर्ष में पदाधिकारी को अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में उनके अनुरोध पर सहानुभूति के साथ विचार किया जायगा।

(४) किसी विशेष सम्वर्ग के सम्बन्ध में नियम/विनियम के अधीन रहते हुए, जहांतक संभव हो, वर्ग-३ के क्षेत्रीय (फील्ड) कर्मचारी का पदस्थापन सामान्यतः उसी प्रमंडल/सर्किल/रेन्ज में किया जायगा जिसमें उनका घर पड़ता है मगर अपने घर के जिले में उनका पदस्थापन नहीं होगा। यह प्रतिबंध जिला स्तरीय सम्वर्ग पद पर नहीं लाग होगा।

(५) यदि किसी विभाग द्वारा सामान्यतः अन्य विभागों से सरकारी सेवकों की सेवाएं प्राप्त कर स्थानान्तरण।पदस्थापन किया जाता है तो पैतृक विभाग प्रत्येक छमाही में सुयोग्य पदाधिकारी की सूची तैयार करेंगे जिससे अधियाची विभाग आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति के लिये पदाधिकारी की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे। यह सूची प्रत्येक वर्ष मार्च एवं अगस्त महीने में तैयार करके अधियाची विभाग के पास भेज दी जायगी।

(६) सेवा निवृत्ति के बाद किसी सरकारी सेवक की सेवा का विस्तार या प्रतिनियुक्ति नहीं की जायगी।

(७) यदि कोई पदाधिकारी जिनके पदस्थापन की अवधि समाप्त होने वाली है, अपने स्थानान्तरण। पदस्थापन के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहें तो वे हर साल १ मार्च।अगस्त तक सक्षम पदाधिकारी के पास इसे स्थानान्तरण।पदस्थापन के समय विचार के लिये भेज सकते हैं। वर्तमान वर्ष में ऐसे निवेदन, यदि कोई हों, इस संकल्प के निर्गत होने के एक महीने के अन्दर किया जा सकता है।

(८) स्थानान्तरण।पदस्थापन से प्रभावित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर १५ दिनों के अन्दर विचार किया जायेगा बशर्ते वह निर्धारित प्रशासनिक माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो। स्थानान्तरित। पदस्थापित सरकारी सेवकों द्वारा स्थानान्तरण।पदस्थापन आदेश का अनपालन आदेश निर्गत होने के बाद एक महीने के अन्दर करना होगा। यदि वे इस आदेश की अवहेलना करेंगे तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जायगी।

(९) यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण।पदस्थापन के सम्बन्ध में वाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह बात उनकी चरित्र-पुस्ति में दर्ज कर दी जायगी।

(१०) सरकारी सेवकों द्वारा सीधे विभागीय मंत्री को स्थानान्तरण।पस्थापन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र सम्बोधित किये जाने की पद्धति अनियमित है एवं इसे अमान्य कर दिया जाय। परन्तु यदि पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर संबंधित विभाग।पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो अथवा विलम्ब किया जा रहा हो तो ऐसे विलम्ब के विरुद्ध विभागीय मंत्री को अभ्यावेदन (मेमोरियल) दिया जा सकता है।

(११) नियन्त्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के स्थानान्तरण।पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर अविलम्ब विरमित कर देंगे।

(१२) प्रत्येक विभाग अपने पदाधिकारियों के कैरियर मैनेजमेंट की एक निश्चित योजना सरकार की स्वीकृति से बनायेगा।

(१३) प्रत्येक विभाग अपने विभाग के प्रत्येक पद के लिये कार्य की आवश्यकता सूची (जॉब रिक्वायरमेंट) चार्ट निर्धारित करेगा एवं उसी के अनुसार नियुक्ति की जायगी।

(१४) प्रत्येक विभाग अपने विभाग से सम्बन्धित सेवा संवर्गों में नियुक्ति के लिये नियमावली बनायेगा, यदि यह अबतक नहीं बनाया गया हो :

(ख) स्थानान्तरण।पदस्थापन के सम्बन्ध में प्रक्रिया

(१) आरक्षी अधीक्षकों, जिला पदाधिकारियों, आरक्षी उप-महानिरीक्षकों, विभागाध्यक्षों, विभागीय सचिवों, विशेष सचिवों, आयुक्त एवं सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा उसके समकक्ष उपर्युक्त कोटि के

पदाधिकारी के अलावे ऐसे पदाधिकारी जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन १,२०० रु० से अधिक है, उनके स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या २९ के अनुसार मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा जायगा।

१,२०० रु० से अधिक, किन्तु २,२५० रु० से कम वेतनमान के पदाधिकारी सम्बन्धी प्रस्ताव स्थापना समिति की अनुशंसा के बाद विभागीय मंत्री की स्वीकृति से मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा जायेगा।

(२) जिस सरकारी सेवक के वेतनमान का अधिकतम वेतन ८४० रु० से अधिक किन्तु १,२०० रु० से अनधिक हो उसका स्थानान्तरण।पदस्थापन, एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा के बाद प्रभारी मंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित किया जायेगा। जिस सरकारी सेवक के वेतनमान का अधिकतम वेतन १,२०० रु० से अधिक हो उसका स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव उपर्युक्त स्थापना समिति की अनशंसा एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा जायगा।

(३) ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन ८४० रु० से अधिक न हो, जो कार्यालयों के प्रधान की प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्दर नहीं आता हो, उसका स्थानान्तरण।पदस्थापन विभागाध्यक्षों के द्वारा किया जायगा। उसी रूप से कार्यालयों के प्रधान भी विभिन्न कोटि के सरकारी पदाधिकारियों एवं सेवकों के स्थानान्तरण।पदस्थापन के सम्बन्ध में प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग करेंगे। विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रधान इन मामलों में उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा प्राप्त कर ही कार्रवाई करेंगे।

(ग) स्थापना समिति का गठन

(१) विभागीय मंत्री की स्वीकृति से प्रत्येक विभाग में एक स्थापना समिति गठित की जायगी जिसके द्वारा उन पदाधिकारियों के स्थानान्तरण।पदस्थापन की अनुशंसा की जायगी जिनका स्थानान्तरण।पदस्थापन सरकार द्वारा किया जाता है।

इस स्थापना समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :—

(१) आयुक्त-सह-सचिव।
(२) वरीयतम विभागाध्यक्ष।
(३) एक विशेष सचिव।अपर सचिव।
(४) एक सुयोग्य वरीयतम अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारी।

(यदि विभाग में ऐसे अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हों तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मुख्य मंत्री की अनुमति से मनोनित ऐसे सुयोग्य पदाधिकारी।)

प्रभारी मंत्री विभागीय स्थापना समिति के लिये प्रारम्भ में मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनायेंगे। उसी रूप से विभागीय मंत्री की स्वीकृति से विभागाध्यक्षों के लिये मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाया जायगा। कैरियर मैनेजमेंट योजना बनाने एवं मंत्री की स्वीकृति के बाद मार्गदर्शक सिद्धान्त में आवश्यक संशोधन किया जायगा जिससे यह उपर्युक्त योजना के अनरूप हो।

(२) विभागाध्यक्ष के स्तर पर स्थानान्तरण-पदस्थापन के लिये भी एक स्थापना समिति विभाग द्वारा बनायी जायगी जिसमें विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त उनके अधीनस्थ २ वरीयतम पदाधिकारी तथा एक अनुसूचित जाति।अनसूचित जनजाति के सदस्य रहेंगे।

(३) कार्यालयों के प्रधान के स्तर पर भी एक स्थापना समिति विभाग द्वारा गठित की जायगी जिसमें कार्यालय के प्रधान अध्यक्ष होंगे और जिसमें अधिक-से-अधिक ५ और कम-से-कम ३ सदस्य रहेंगे। इन सदस्यों में एक अनुसूचित जाति।जनजाति के सदस्य सम्मिलित रहेंगे।

२१. ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र के असाधारण अंक" में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इनकी प्रति सरकार के सभी विभागों।विभागाध्यक्षों।सभी प्रमंडलीय आयुक्त।सभी जिला अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव

नोट***

एकाधिक विभागों के अनुरोध पर संकल्प संख्या ३९१८, दिनांक २५ अक्तबर, १९८० एवं ३४४५, दिनांक ७ सितम्बर, १९८१ का पूर्व उद्धरण प्रकाशित किया गया। यह केवल सुलभ निदेश के लिए है। परन्तु विशेष ज्ञातव्य है कि दोनों संकल्प निर्गत होने के पश्चात् कार्यपालिका नियमावली के नियम २१ से ३२ में संशोधित हुये हैं। अतः ये संकल्प उपर्युक्त अंश तक संशोधित एवं उपर्युक्त नियमों के साथ पठनीय हैं। तृतीय अनुसूची में भी अनुरूप संशोधन किए गए हैं।

निर्मलेन्दु चटर्जी,
अपर सचिव।